[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं.19/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 08 अगस्त,2017

सा.का.नि. (अ).–आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए बढ़ाते हैं, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं0	**मास**	**प्ररूप जीएसटीआर-2 में आवक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	जुलाई, 2017	6 से 10 सितंबर, 2017
2	अगस्त, 2017	21 से 25 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.349/74/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार